

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 16TH MARCH , 1998

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)


New Delhi the 16TH March , 1998

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification number S.O.388(E) dated the 19th May, 1997 issued under sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 10, the Running of Multifarious Rural Welfare projects in Health Care Education, Sports and Cultural activities and construction of Hospital building, equipments and furnishing and management of natural resources in Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra of Shri Sadguru Seva Sangh Trust, Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbai-400020 as an eligible project or scheme for a period of three years beginning with assessment year 1998-99;

AND WHEREAS the National Committee, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income-tax Rules, 1962 for enhancing the approved cost to rupees one thousand three hundred thirty three lakhs from rupees one thousand two hundred twenty five lakhs;

NOW, THEREFORE, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (b) of the Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereby specifies the scheme or project of the Running of Multifarious Rural Welfare projects in Health Care Education, Sports and Cultural activities and construction of Hospital building, equipments and furnishing and management of natural resources in Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra of Shri Sadguru Seva Sangh Trust, Mafatlal House, Backbay Reclamation, Mumbai-400020 at the estimated cost of rupees one thousand three hundred thirty three lakhs only as an eligible project or scheme for a period of three assessment years commencing from assessment year 1998-99.



(V.K. SEHGAL)

Deputy Secretary to the Government of India

No. 10559
F.No. NC-9/98

भारत के राजपत्र के असाधारण भाग-III, खण्ड 3, उपखण्ड iii में दिनांक 16
मार्च, 1998 को प्रकाशनार्थ ।

भारत सरकार :
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 16 मार्च, 1998


अधिसूचना

सां० आ० -----§० आयकर अधिनियम 1961, § 1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड§ के साथ पठित उपधारा§ 1§ के अन्तर्गत जारी की गई दिनांक 19 मई, 1997 की अधिसूचना सं० सां० आ० 388§० के द्वारा ^{केन्द्रीय सरकार ने सं० 10 पर} श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट मफतलाल भवन, बैकबे रिक्लेमेशन मुम्बई 4000 20§ द्वारा मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना को चलाना, अस्पताल भवन का निर्माण, उपकरण एवं साज सज्जा एवं प्राकृतिक स्रोतों के प्रबन्ध को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में वर्ष 1998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट किया था ।

और जबकि राष्ट्रीय समिति ने, यह समाधान होने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपयुक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11 ड के उप नियम§ 5§ के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम के आगे और एक वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की और एक हजार दो सौ पच्चीस लाख रुपये की अनुमानित लागत को एक हजार तीन सौ तैंतीस लाख रुपये तक बढ़ाने की सिफारिश की है ।

अब अतः, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961§ 1961 का 43§ की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड§ के साथ पठित उपधारा§ 1§ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केवल एक हजार तीन सौ तैंतीस लाख रुपये की अनुमानित लागत पर श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट मफतलाल हाऊस,

बैकबे रिक्लेमेशन मुम्बई-400020 मध्यप्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, खेल तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों में बहुआयामी ग्रामीण कल्याण परियोजना को चलाना, अस्पताल भवन का निर्माण, उपकरण एवं साजसज्जा एवं प्राकृतिक स्रोतों के प्रबन्धन को पात्र परियोजना या स्कीम के रूप में निर्धारण वर्ष 19998-99 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन निर्धारण वर्ष की और अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करती है।



॥वी० के० सहगल॥

उप-सचिव, भारत सरकार

सं० 10559

फा० सं० एन०सी० 9/98